(TO BE PUBLISHED IN DELHI GZETEE PART-III- ORDINARY)
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

NO.F.19(06)/2003/UD 9890 DELHI, DATED THE 6/7/ ,2011

NOTIFICATION

No. F. 19(06)/2003/UD/ 9890 In supersession of this Government's notification no. F. 19(06)/2003/UD/2990 dated 13/07/2007 following regulation made by the municipal Corporation of Delhi under section 98 of the Delhi municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) relating to the post of Teacher (Primary) municipal Corporation of Delhi, having been approved by the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 480 of the said ACT read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification S.O. No. 3159 dated 19th October, 1966 are hereby published as under:-

1. **Short title and commencement-** (i) these regulation may be called the Recruitment Regulations for the post of Teacher (Primary), Municipal Corporation of Delhi, 2011

(ii)They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay-** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification,** etc-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.
4. **Disqualification** : No person,--

(a) who has entered in to or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered in to or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Municipal Corporation of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax-** Where the Municipal Corporation of Delhi is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order, for reasons to be

recorded in writing and in consultation with the Government relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category or persons or post.

6. **Saving-** Nothing in this rule shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

BY ORDER AND IN THE
NAME OF THE LT. GOVERNOR
OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(R.K.SRIVASTAVA)
SECRETARY (U.D.)
Government of National
Capital Territory of Delhi

"SCHEDULE"

RECRUITMENT RULES FOR TEACHER (PRIMARY)

1	2	3	4
NAME OF THE POST	NO. OF POST	CLASSIFICATION	PAY BAND & GRADE PAY/PAY SCALE
TEACHER (PRIMARY)	21630 (2011) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD	CATEGORY- 'B'	PB-2 RS. 9300-34800 (GRADE PAY RS. 4200/-)

5	6	7	8
WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE & EQ. PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES
NA	NOT EXCEEDING 30 YEARS (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANT UPTO FIVE YEARS IN ACCORDANCE ,WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). NOTE: THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA, (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PRADESH, MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADHAK DIVISION OF J&K STATE, LEHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUBDIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLAND OR LAKSHADWEEP).	**ESSENTIAL:** (I) SENIOR SECONDARY (10+2) OR INTERMEDIATE OR ITS EQUIVALENT FROM A RECOGNISED BOARD/INSTITUTION. (II) TWO YEAR'S DIPLOMA/CERTIFICATE COURSE IN ELEMENTARY TEACHER EDUCAGTION COURSE/JUNIOR BASIC TRAINING OR EQUIVALENT OR BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION FROM A RECOGNISED INSTITUTION. (III) MUST HAVE PASSED HINDI AS A SUBJECT AT SECONDARY LEVEL. (IV) MUST HAVE PASSED ENGLISH AS A SUBJECT AT SECONDARY OR SENIOR SECONDARY LEVEL. NOTE: QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE QUALIFIED.	NA

9	10	11
PERIOD OF PROBATION, IF ANY	METHOD OF RECTT. WHETHER BY DIRECT RECTT. OR BY DEPUTATION, ABSORPTION & PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE
2 YEARS	BY DIRECT RECRUITMENT	NOT APPLICABLE

12	13
IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH U.P.S.C. IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECTT.
GROUP 'B' DPC (FOR CONFIRMATION) (I) DEPUTY COMMISSIONER OF ZONE, MCD – CHAIRMAN (II) DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (ZONE)- MEMBER (III) ASSISTANT DIRECTOR OF EDUCATION/DRAWING & DISBURSING OFFICER (ZONE) - MEMBER (IV) AN OFFICER OF THE SC/ST COMMUNITY NOT BELOW THE RANK OF DEPUTY DIRECTOR IN MCD- MEMBER	CONSULTATION WITH UPSC NOT NECESSARY

(R.K. SRIVASTAVA)
SECRETARY (U.D.)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र के भाग–III–साधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(शहरी विकास विभाग)

सं0फा0 19(06)/2003/श0वि0/9890 दिनांक 6/9/ 2011

अधिसूचना

सं0फा0 19(06)/2003/श0वि0/9890 :– इस सरकार की दिनांक 13.7.2007 की अधिसूचना संख्या 19(06)/2003/शहरी विकास/2990 के **अतिक्रमण** में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित **अध्यापक (प्राथमिक)**, दिल्ली नगर निगम के पद से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 98 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाये गये निम्नलिखित विनियम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना एस0ओ0 संख्या 3159 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 480 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में निम्न प्रकार प्रकाशित किये जाते हैं :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को अध्यापक (प्राथमिक), दिल्ली नगर निगम के पद के भर्ती विनियम, 2011 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि दिल्ली नगर निगम यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :– जहां दिल्ली नगर निगम का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सरकार के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :– इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

आर. के. श्रीवास्तव

(आर०के० श्रीवास्तव)
सचिव (शहरी विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

"अनुसूची"

अध्यापक (प्राथमिक) के पद के भर्ती नियम :–

1.	पदनाम	:	अध्यापक (प्राथमिक)
2.	पदों की संख्या	:	* 21630 (2011) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "ख"
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान	:	पी बी–2, 9300–34800/–रुपये (जीआर 4200/रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) नोटः–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :– 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से सीनियर सैकेंडरी (10+2) या इंटरमीडियेट या इसके समकक्ष 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम/कनिष्ठ बैसिक प्रशिक्षण में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा स्नातक। 3. सैकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी उत्तीर्ण की गई हो । 4. सैकेंडरी या सीनियर सैकेंडरी स्तर पर एक

			विषय के रूप में अंग्रेजी उत्तीर्ण की गई हो । नोट :– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) 1. उपायुक्त, दिल्ली नगर निगम क्षेत्र –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, शिक्षा (क्षेत्र)– सदस्य 3. सहायक निदेशक, शिक्षा/आहरण एवं वितरण अधिकारी (क्षेत्र)– सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक अधिकारी जो दिल्ली नगर निगम में उप–निदेशक के रैंक से कम न हो– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
सचिव (शहरी विकास)